भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 383

(मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

आईबीसी मामलों के त्वरित निपटान हेतु एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

383 श्रीएस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 28वीं आईबीसी रिपोर्ट (2025) में की गई अनुशंसा पर ध्यान दिया है, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएनटी) पीठों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है;

(ख) अतिरिक्त पीठों की स्थापना करने, न्यायिक और तकनीकी रिक्तियों को भरने और अवसंरचना और रजिस्ट्री समर्थन को सुदृढ़ करने सहित एनसीएनटी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और

(ग) इन उपायों से लंबित मामले कम होने और आईबीसी मामलों के समयबद्ध समाधान में सुधार आने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की पीठों की स्थापना कार्यभार की मात्रा तथा अन्य कारकों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में देश में एनसीएलटी की एक प्रधान पीठ तथा 15 अन्य पीठें कार्यरत हैं।

मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा सतत आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें ई-कोर्ट एवं हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण हेतु नियमित अकादमिक सम्मलेन, अवसंरचना की व्यवस्था, रिक्त पदों को भरना आदि शामिल हैं।

अधिकरण में मामलों का निस्तारण विधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और लंबित मामलों में वृद्धि का कारण केवल रिक्तियों को नहीं माना जा सकता। एनसीएलटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। एनसीएलटी में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ एवं जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों (आईए) की संख्या, उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन, हितधारकों का सहयोग आदि शामिल हैं।

*****